19/8/14 पत्रावली अर्थी श्री सम्पतसिंह के मिसल तलबी के आवेदन जमीं अवलोकन प्रस्तुत किये जाने पर पेश हुई। अर्थी ने आवेदन पत्र पर निवेदन किया कि पत्रावली रजीनामा के हुक्म है हकम आगे चलाना नहीं चाहते है। हकम विद्ध किये जाने की हकम करें। अर्थी वादी की पहचान अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र सिंह शेखावत द्वारा की गई। अवर अधिवक्ता के निवेदन पर वाद वादी विद्ध किये जाने के आदेश दिये जाते है। मिसल बंद दफ्तर कलेक्ट्रेट अधिवक्ता हकूल होकर नीचे से कम है।

अ.नि. (सम्पतसिंह)

पहचानकर्ता

उपखण्ड अधिकारी

[illegible]